न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 187/2020
3. उनवान : सरकार जरिये अभिषेक कुमार सिंह, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

1. श्री गणपत राम बुनकर, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम नीझर–प्रथम, ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा धामाई, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
2. श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री कुंजबिहारी शर्मा निवासी वार्ड नं. 5, खातेडी मोहल्ला, नगरपालिका शाहपुरा जिला जयपुर टैम्पो चालक।

4. निर्णय दिनांक : 22.02.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री के.डी. शर्मा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, शाहपुरा, जयपुर श्री अभिषेक कुमार सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 09.09.2014 को थानाधिकारी शाहपुरा की सूचना पर मय जांच दल के शाहपुरा थाने पंहुचे। पुलिस तहरीर के अनुसार लोडिंग टेम्पो टाटा सुपर एस रंग सिल्वर बिना नम्बर 47 कट्टे प्लास्टिक एफसीआई मार्का मशीन द्वारा सीले हुये गेहूं से भरे हुये नीझर गांव से मय चालक मनोज कुमार व डीलर गणपतराम बुनकर को ग्रामवासियों की गेहूं की कालाबाजारी की शिकायत पर संदेह के आधार पर थाने में लाया गया। थाने में पूछताछ के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 ने बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 के कहने पर नीझर से बासडी तक परिवहन कर उक्त गेहूं ले जा रहा था। अप्रार्थी संख्या 1 ने भी इस बात की स्वीकारोक्ति की। गेहूं की संदिग्ध कालाबाजारी की विस्तृत जांच करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के नीझर व बासडी के वितरण केन्द्रों पर जांच की गयी। नीझर वितरण केन्द्र पर स्टॉक रिकार्ड के अनुसार भौतिक सत्यापन पर 20 लीटर केरोसीन कम पाया गया। दोनों वितरण केन्द्रों पर भौतिक सत्यापन पर गेहूं स्टॉक रिकार्ड के अनुसार सही पाया गया। इसलिये जो गेहूं पकडा गया वह वितरण रजिस्टरों में फर्जी इन्द्राज कर बचाया गया था जिसे वह बाजार में बेचने हेतु ले जा रहा था। अप्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया ना ही वैध दस्तावेज पेश किये गये। ऐसी स्थिति में 47 कट्टे एफसीआई मार्का कुल 23.50 क्विं गेहूं मय बारदाना प्लास्टिक एवं बिना नम्बर के लोडिंग टेम्पो जब्त किये गये। प्रार्थी द्वारा फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिनांक 29.10.2014 को अधिवक्ता श्री के.डी. शर्मा ने उपस्थिति दी। दिनांक 18.09.2014 को अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थना पत्र पेश कर स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 4,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 19.09.2014 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण की ओर से आदिनांक तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात प्रकरण जवाब/बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए फर्द जब्ती के अनुसार जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 22.02.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 09.09.2014 को ग्रामवासियों की कालाबाजारी की शिकायत पर गेहूं व टेम्पो जब्त किया गया। पूछताछ के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 ने बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 के कहने पर नीझर से बासडी तक परिवहन कर उक्त गेहूं ले जा रहा था। अप्रार्थी संख्या 1 ने भी इस बात की स्वीकारोक्ति की। जबकि उक्त टेम्पो को ग्रामवासियों ने बासडी की विपरीत दिशा में जाते हुये रोका। जिससे गेहूं को कालाबाजारी के लिये ले जाना पुष्ट होता है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 के दोनों वितरण केन्द्रों पर भौतिक सत्यापन पर गेहूं स्टॉक रिकार्ड के अनुसार सही पाया गया। निष्कर्षतः जो गेहूं पकडा गया वह वितरण रजिस्टरों में फर्जी इन्द्राज कर बचाया गया था जिसे वह बाजार में बेचने हेतु ले जा रहा था। अप्रार्थीगण द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर और आदिनांक तक कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी वाहन के अलावा अन्य जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम आज तक पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण का ऐसा कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जब्त 47 कट्टे एफसीआई मार्का कुल 23.50 क्विं गेहूं मय बारदाना प्लास्टिक एवं तत्समय बिना नम्बर का वाहन लोडिंग टेम्पो टाटा सुपर एस (संख्या आरजे–14टीसी–0087 गाडी के रजिस्ट्रीकरण के अस्थाई प्रमाण पत्र के अनुसार)को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेशानुसार जब्त सामग्री को राजसात कर नियमानुसार राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर